

## राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर


क्रमांक : वसूली / 2017-18 / लीज छूट / 89 / 371

दिनांक : 7-2-18

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर से प्राप्त पत्र (संलग्न पत्र) क्रमांक प.5(3)नविवि/3/99पार्ट दिनांक 06.02.2018 में दिये गये निर्देशों की अक्षरतः पालना किया जाना सुनिश्चित करें।


उक्त आदेश को सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

  
वित्तीय सलाहकार

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. उप शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव- मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. सचिव/ वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम/द्वितीय/तृतीय P&M, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. उप वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. उप आवासन आयुक्त वृत्त ..... राज. आवा. मं., .....
11. आवासीय अभियन्ता, खण्ड ..... राज. आवा. मं., .....
12. जन सम्पर्क अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
13. लेखाधिकारी (वृत्त) ..... राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
14. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि परिपत्र मण्डल की वेबसाईट पर डलवाये व सभी को मेल करे।
15. रक्षित पत्रावली।

  
वित्तीय सलाहकार

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक 3(3)पवि/3/99वाह

जयपुर दिनांक: 16 FEB 2018

आदेश

राजस्थान नगर सुधार न्यास, 1959 की धारा 74, राजस्थान नगर सुधार न्यास (शहरी भूमि के निस्तारण) नियम, 1974 के नियम 7ए, एवं राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम 1970 की धारा 60 के अन्तर्गत प्राधिकरणों/नगर सुधार न्यासों एवं आवासन मण्डल की बकाया लीज के ब्याज में छूट देने की शक्ति राज्य सरकार में निहित है।

राजस्थान नगर सुधार न्यास, 1959 की धारा 74 एवं राजस्थान नगर सुधार न्यास (शहरी भूमि के निस्तारण) नियम, 1974 के नियम 7ए, राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 की धारा 60 के अन्तर्गत प्राधिकरणों/नगर सुधार न्यासों एवं आवासन मण्डल की तरफ बकाया लीज के ब्याज में छूट देने की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा बकाया लीज राशि एकमुश्त जमा कराने जाने पर देय ब्याज राशि में 100 प्रतिशत छूट प्रदान करती है। इस छूट का लाभ दिनांक 28.02.2018 तक प्रभावी रहेगा।

उक्त छूट के संबंध में प्राधिकरण/न्यास/आवासन मण्डल के स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिकतम वसूली की जावे।

उक्त स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 101706454 दिनांक 01.01.2018 के अनुसरण में जारी की जाती है।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, श्रीमान मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास, आवासन मण्डल विभाग, जयपुर।
5. निजी सहायक, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, जयपुर।
6. निजी सहायक, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
7. निजी सहायक, प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, जयपुर।
8. निजी सहायक, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
9. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
12. वरिष्ठ नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग।
13. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को उक्त अधिसूचना विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
14. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण/जोधपुर विकास प्राधिकरण/अजमेर विकास प्राधिकरण।
15. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
16. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त)।
17. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम